Title: Discussion on the point arising out of the answer given by the Minister of Small Scale Industries and Agro rural Industries on 01.12.2004 to Starred Question No.3 regarding production in SSI Sector.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Production In Small Scale Industry Sector

DR. CHINTA MOHAN (TIRUPATI): Sir, I am thankful to the hon. Speaker for admitting this Half-an-Hour discussion and to your goodself for giving me this opportunity to speak about the Small Scale Industries. It was supposed to be listed last week but for various reasons it had to be postponed to this week.

Sir, before I dwell on the Small Scale Industries, I would like to give a historical background of the evolution of the Small Scale Industries. The issue of the Small Scale Industries was first discussed in 1938. It was under the Chairmanship of the late Pandit Nehru in a regional conference of the Indian National Congress this subject of the Small Scale Industries were discussed. The late Dasgupta was the convenor of that Conference and Shri K.T. Shah piloted the Resolution on this subject. After Independence, in 1948, the Government of India passed an order to have Small Scale Industries in this country. But it was only in 1954 finally that the Small Scale Industries' Board was formed. In 1954, there were about 20,000 Small Scale Industrial units in this country. Today, there are about 2,31,000 such units.

Sir, what is the philosophy of having the Small Scale Industries? The main philosophy of having such industries were to reduce regional imbalances, encourage entrepreneurship in the backward areas and to remove unemployment and to boost exports. This was the main philosophy behind having Small Scale Industries. What are basically Small Scale Industries? They include the handloom industry, the shoe-makers, the *beedi* workers, the toy industry, the handicrafts industry and etc. There are about 800 types of Small Scale Industries. When it was started in 1954 about 800 types of industries of this nature were included.

Sir, what is happening in this industry today? In backward areas of Andhra Pradesh, in places like in the Chittur district of Andhra Pradesh, in Rangareddy district of the same State, even in your constituency, Mr. Chairman, Sir, namely, Mansaud, there are a large number of Small Scale Industries which are in a very bad shape. Even in Delhi, owing to a judgement of the Supreme Court, the Small Scale Units are facing a lot of hardship. What is the condition of such units at the international level? In a small country like Bhutan, the growth of Small Scale Industries is about ten per cent. In Indonesia, the growth of Small Scale Industries is about ten per cent. I would not like to compare ourselves with a country like China where the growth of such industries is about 16 per cent. Today, as per records, the growth of Small Scale Industries in our country is about 7.9 per cent. It is quite a small percentage.

Sir, what are the problems being faced by these industries? The main problem that these industries is facing is that of finance. The banks are not giving proper attention to this sector. The interest rates for loan is very high and the moratorium given to these industries is very less. The repayment time given to these industries is very less, it is hardly six or seven years. They also are not getting proper raw materials. They also are not getting proper marketing facilities and proper incentive for exports on time. The financial institutions are not coming forward to help them. As a result of these, most of the assets of these industries are being rendered as NPAs and becoming sick.

Sir, here I would like to mention about the NPAs. When the late Indira Gandhi was the Prime Minister, the definition of NPA was different. When the late Rajiv Gandhi was the Prime Minister, the definition of NPA was different. Today, the definition of NPA is that if a person fails to repay the interest within a stipulated period, then the assets of the units become NPAs.

He becomes sick and nobody gives him any support. Government is not prepared to help them. In America, the definition of Non-Performing Asset is, if a man does not pay back within six months, then that becomes a Non-Performing Asset. The interest rate in America is one or two per cent. Here, in India, the interest rate for a small scale borrower is about 15 per cent. Sometimes, they are increasing it to 18 per cent. With a huge rate of interest, without any proper support from the Government and outside, how will small scale industrialists flourish in the country? At least, we should try to give them soft loans. As regards the loans we give them, we should give them more moratorium, less interest and more time for repayment. We must see that they are given some export subsidy or export incentives. Without this, no small scale industrialist can survive in this country.

We should relax the definition of NPA for the small scale industrialists. The small scale industry has got its own

history and philosophy. With this philosophy, big industrialists can afford to pay the interest on time but the small scale industrialist is not in a position to pay it on time. He will become sick.

You have established a Bank called the Small Industries Development Bank of India, SIDBI. They are not able to relax the rules. The CMD who was sitting there did not have any sympathy for poor people. Recently I was told that he had been transferred to some other place. It is headless today. You need to have a person with pro-poor thinking, pro-unemployed thinking and pro-small scale industrialists thinking. Without any philosophy, without any proper commitment, I think the small scale industry cannot flourish.

Kindly look at the RBI today. The functionaries of RBI do not have sympathy for the poor. Not even one person has got sympathy for the unemployed people. Not even one functionary knows what is poverty and the sufferings of the people. The same thing applies to the Department of Banking also. The Secretary (Banking) does not know what happens to the small scale industrialists. We have to have our own people with a firm commitment. We should try to reduce unemployment and remove poverty. We should try to remove starvation. Only God knows what is happening to the unemployed people. We have to think of going to their rescue.

The SIDBI while giving loans to the small entrepreneurs are taking post-dated cheques from them. Mr. Hannan Mollah was mentioning in the Zero Hour that cases are piling up in the courts. What are these cases? Actually they are not criminal cases. When poor people or the unemployed persons take loan, they are getting post-dated cheques from them. If they do not repay the loan on time, they are fixing a criminal offence on them and taking them to the court. These are the cases which are piling up in the courts today.

Section 138 has to be repealed. Unfortunately, without knowing the pros and cons, we have brought section 138 and all the middle class people, the poor people and women are suffering before the courts today. They do not have advocates to argue their cases and they are going to jail. This is the situation in SIDBI.

There is another problem with the banks. When an MP or the District Collector or when even the Finance Minister goes to them and asks them to help these poor people under Prime Minister's Rozgar Yojana, the bankers are not prepared to help them. When we ask them the problem, they say that it is the problem of Central Bureau of Investigation, the CBI. When Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister, there was no link between the CBI and the banks. They were given autonomy and freedom. They were given responsibility. They were taking decisions.

17.39 hrs (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Today, because of the CBI, the banks are not in a position to help them. Nobody is willing to help them. So, we must remove this CBI link with the banks. We must give them full autonomy. While selecting the CEOs of banks, we should select such people who have a pro-poor and pro-small scale industry attitude and who know the problems of those people. Today, none of the CMDs of banks has sympathy for the unemployed persons.

None of them got any sympathy for the poor. We are selecting these types of people. We have got the Governor and so many Deputy Governors in the Reserve Bank. None of them knows what is unemployment, what is starvation. None of them knows the sufferings of the people. With these types of people, how can we help these industries? How can we help the unemployed people? I am afraid that unless we change these people, with the people who have good thinking, who have commitment and who have conviction, we cannot help these industries.

Somewhere in the statement, I saw that Small Scale Industrial Development Bank is giving about 60 per cent of its loans to these small industries; financial institutions and banks are giving about 16 per cent of their money to the small scale industrialists; and State financial corporations are giving about 70 per cent of their loans to these industries. On books, they are saying that they are giving this much of money. But in reality, they are not giving any money. Nobody is coming up.

I request that this definition of Non Performing Assets be changed; try to delink the CBI cases from the banks; and

repeal section 138 to save all these small scale industries from their sufferings.

I request that more commitment be shown. Our philosophy is to develop these entrepreneurs in the backward areas. It was started by Pandit Jawaharlal Nehru in 1938. We have got a commitment to help these small scale industries. The Indian National Congress has got a commitment to help these small scale industries.

So, I request you to do the needful. With these words, I conclude.

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र डा. चिंता मोहन जी ने काफी विस्तार से इसकी भूमिका बताई है। माननीय मंत्री जी भी एस.एस.आई. की समस्याओं से परिचित हैं। मंत्री जी देश के आम आदमी से जुड़े हैं। सब लोग जानते हैं कि हमारे देश की पहचान एस.एस.आई. है। करीब 40 प्रतिशत का उत्पादन इससे जुड़ा है और पौने तीन करोड़ मजदूर इसमें काम करते हैं।

मैं कोई विशेष भूमिका में नहीं जा रहा हूं, सीधे-सीधे अपनी बात पर आता हूं। वर्तमान सरकार ने पद सम्भालने के बाद इस तरह के बयान दिए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका समाधान कैसे होगा। इसलिए हमने मंत्री जी से प्रश्न काल में इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आग्रह किया था। मंत्री जी कहें कि हम इस सम्बन्ध में बिल लाएंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का जायजा लेने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें निरंतर समय बीतता जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि जो मुख्य समस्या है, जिस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा रहा है.

मैं कुछ बिंदु मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के कारण दुनिया का सारा सामान हमारे देश में आ रहा है, तो उसका हमारी एस.एस.आई. यूनिट्स कैसे मुकाबला करेंगी ? जिन शर्तों के साथ, जिस कम मूल्य पर विदेशी सामान हमारे देश में मिल रहा है, तो हमारे देश के उत्पाद कैसे जिंदा रखे जाएंगे, कैसे छोटी-छोटी यूनिट्स हम चला पाएंगे, क्या इस बारे में भी आपने विचार किया है कि इस काम को किस प्रकार आप करेंगे ? ब्याज की दरें कम करें, आसान शर्तों पर ऋण दें, तो सिर्फ इससे ही काम चलने वाला नहीं है। अभी कहा गया कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बैंकों की जो भूमिका है, उसमें कैसे बदलाव किया जाएगा। पिछली सरकार ने बैंकों की ब्याज दरों को कम करने का प्रयास किया था और उन्हें दस से 15 प्रतिशत तक वह सरकार लाने की पहल की थी। लेकिन मेरा मानना है कि ये ब्याज दरें अभी भी ज्यादा हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रतिशत से पांच प्रतिशत के बीच ब्याज दर है। ऊपर से सरकार द्वारा यह कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे और सिडबी भी पैसा देगी। लेकिन हमारी जानकारी में आया है कि अभी तक 600 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। मुझे लगता है कि एस.एस.आई. निरंतर खत्म होने की दिशा में बढ़ती रहेगी। प्रश्न काल में भी यही निवेदन किया गया था कि जो देश की आत्मा है, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी ने जिस उद्देश्य के साथ इस दिशा में काम करना शुरू किया था, उस पर आप कैसे ध्यान दे पाएंगे ?

हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने कुछ विषयों पर अपने विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं किये तो एसएसआई के लिए समस्या बढ़ती जाएंगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एसएसआई के लिए अपने विचार स्पष्ट करें नहीं तो इस उदारीकरण के दौर में विश्व-व्यापार संगठन की शर्तों के आधार पर एसएसआई कैसे जीवित रहेंगी।

आपने कहा कि हम बिल ला रहे हैं, लेकिन कुछ काम तो आप तुरंत कर सकते हैं। ऋण आप एसएसआई को कैसे देंगे, क्योंकि उन्हें छोटे ऋण चाहिए, जो बैंक उन्हें नहीं देते हैं। आपने बिल को शीतकालीन सत्र में लाने की बात कही थी लेकिन शीतकालीन सत्र तो चल रहा है, इसलिए अब तो आप बजट सत्र में ही बिल लाओगे। क्या आप वायदा कर सकते हैं कि आप अगले सत्र में बिल जरुर लाएंगे। हमें मालूम है कि इसका प्रोसेस लम्बा है। वास्तव में जो एसएसआई लगाते हैं, देश के उत्पादन के साथ जुड़े हैं, अगर आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, शर्तों में ढील नहीं दी, चाहे एनवायरमेंट क्लीयरेंस हो या अन्य क्लीयरेंस हों, शर्तों को कम करने का काम नहीं किया तो ये यूनिट्स जिंदा नहीं रह पाएंगे। केवल पौने तीन करोड़ नहीं और भी बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए एसएसआई को रिवाइव करना जरुरी है। जैसा अभी कहा गया हैं कि 6 महीने के बाद एनपीए हो जाए, इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। आपके रहते हुए स्पष्ट सुझाव आयें तो अच्छा है, जिससे एसएसआई सही ढंग से चल पाएंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लघु उद्योगों का हमारे देश में जो महत्व है और देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उनका हम जितना बढ़ावा देंगे, वह हमारे देश के लिए हितकारी होगा। सार्वजनिक उपक्रमों में जो घाटे की स्थिति है, उसको देखते हुए, छोटी-छोटी इकाइयों को जिनमें ज्यादा रोजगार देने की क्षमता है, सरकार को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या सरकार कोई नयी लघु उद्योग नीति लाने का प्रयास करेगी? क्या सरकार ने लघु उद्योग नीति के संबंध में राज्य सरकारों के उद्योग मंत्रियों को आमंत्रित करके विचार-विमर्श किया है, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। उत्पाद कर से दो करोड़ तक का आपने एग्जम्पशन दे रखा है लेकिन पैसे का मूल्य घटता जा रहा है। उत्पाद कर से उनको मुक्त करने के लिए और सस्ते ब्याज की दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

खादी एवं ग्राम उद्योगों से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी जी का जो आदर्श था कि ग्रामीण उद्योग बढ़ें, ग्राम स्वराज बने और गांवों का सर्वांगीण विकास हो और लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। खादी ग्राम उद्योग की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही है। उनको घाटे से उबारने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार की क्या कोई नयी योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have received so many chits. The hon. Member wants to speak but, unfortunately, it is not possible for me to give the time. The Rule says:

> "Provided that not more than four members who have previously intimated to the Secretary-General may be permitted to ask a question each for the purpose of further elucidating any matter of fact. "

यह मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं सबको टाइम दूं। Shri K.S. Rao. You have to put only one question.

SHRI K.S. RAO (ELURU): Sir, the Small Scale Industry is an area which everyone of us has to support. The reason being that people who are involved in this Small Scale Industries are only lower-middle-class people, middle-class people and possibly between lower-middle-class and self-employed people.

The advantages of these are, the establishment cost is very less, the transport cost is very less, the employment potential is extremely high, but unfortunately, when you see the statistics, a lot of small-scale industries are a failure, not because of the people who started those industries, but because of the unfortunate red-tapism and untimely credit. When a small person approaches a bank for credit, the time taken by the bankers to give him the loan is too much. They make him go round and round like anything, timely finance will not be given to him and this poor man will get crippled. That is the main reason why small-scale industries have suffered all these years. Nobody has got sympathy for them.

Secondly, when they produce the material, proper marketing facility is not there. Certainly small-scale industries cannot compete with major industries. Naturally the Government has to provide certain incentives to them. For example, soap, washing powder, pickles and phenol are manufactured in villages. The Government must ensure that these things are used by Government organisations. Pickles can be used in Government hostels, phenol and soap can be used in municipalities. But the rampant corruption existing in these Government organisations are making those officers to look towards major industries where they can get a substantial cut rather than encouraging these small industries. So, it must be ensured that these materials manufactured by small industries or agro or rural industries are preferred and utilised in Government organisations.

Similarly, the Government must ensure that garments manufactured by small industries are used by police officers and even politicians can use them. All the people who come under that sector must be encouraged to use all those materials that are being manufactured by small-scale industries. It is not being done now.

Let me now come to agro industries. We are making a lot of noise that the farming community is not getting remunerative prices because value addition is not there. When the farmer produces his material, when it is lying in his farm, there is no proper price for it. Even if it is there, it is unremunerative. But the moment the material is lifted from the farmer and taken to the trader, suddenly the price goes up. So, the beneficiary is only the middleman or the trader and not the producer, the farmer. Suppose, if the Government and the financial institutions were to go to the farmer to add value to his product, he will feel very happy because he can provide employment in the village itself. This also has to be encouraged.

Sir, we are spending a lot of money, thousands of crores of rupees, on small industries. One fine morning, we declare that we would distribute Rs. 10,000 crore loans to small-scale industries. I would like to submit that the youngsters, the rural unemployed people must be trained scrupulously, their skills must be improved and then they must be linked to financial institutions. If the skilled people are linked to financial institutions and timely credit is provided to them, if facilities for storage are provided to them and if marketing facilities are provided to them, automatically the small-scale industries will flourish and there will be extensive employment in rural areas. If this is done, we do not need to give protection to the poor people or the middle class people who are there in the villages. So, my humble request to the Government and more particularly to the Minister is that these people must be properly trained and they should be given the required credit and other facilities.

Recently, the Self-Help Groups of women are doing wonderfully well. So, they must also be encouraged. We should not limit the credit facility to them and give only small amounts of money to them. They must be encouraged to start small-scale industries, rural and agro industries in the villages. They have got character, they are very jubilant and they think that they have now got the authority to utilise the money to create income-generating assets.

Sir, Shri Chinta Mohan has raised a very good issue. The Minister should not rest with simply answering the questions raised here or he should avoid the issue. He should take it to the heart and see that these small-scale industries, rural and agro industries flourish in our country. He should ensure that proper financing is provided to them by cutting down red-tapism and corruption and help these skilled people in the rural areas.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Faggan Singh Kulaste. You may ask only questions in two or three minutes.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में जो लघु उद्योग हैं, मैं उनकी स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी को सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों में जहां लोन नहीं मिलता है, वहां लोन न मिलने से और बेसिक सुविधाओं के अभाव से धीरे-धीरे उद्योग बंद हो जाते हैं।

इस बारे में पैकेज की जो बात बार-बार सामने आई है, उसके बारे में चिन्ता होनी चाहिये। अगर आप पैकेज की घोषणा करते हो तो मुझे लगता है कि आप छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचा पायेंगे। अगर हम खादी ग्रामोद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दे सकें तो किसानों के साथ साथ कृषि उपकरणों को हम लाभ पहुंचा सकेंगे। इससे स्थानीय आधार पर उन उद्योगों को काम मिल सकता है। उनके लिये बाजार की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर की जा सकती है। इसलिये इस क्षेत्र में हम लोगों को विचार करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोन का सिस्टम है या जिन लोगों को लोन मिलता है, उनके साथ कई बार ऐसा अनुभव आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों पर आधारित लोगो को जो लोन मिलता है, उसके बाद सब्सिडी देते हैं। परन्तु आदिवासी इलाकों के उद्योग केन्द्रों पर यह अनुभव पाया गया है कि फाइनेंस होने के बाद अगर वह उद्यमी कहीं चला जाता है तो वह काम बंद हो जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिये। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विचार होना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I request the hon. Minister to reply, if the House agrees, we may extend the time of the House till this debate is over.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी एक प्रश्न के लिये अनुमति दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to rules, I cannot accommodate you now. I am really sorry. I cannot go beyond the rules. मैं आपको किसी और दिन अकोमोडेट करूंगा।

लघु उद्योग मंत्री तथा कृि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोद्य, आज इस माननीय सदन में एक महत्वपूर्ण विाय पर मेरे विद्वान साथी डा. चिन्ता मोहन ने अपने नोटिस द्वारा तीन मुद्दे उठाये हैं :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन,

(ख) लघु उद्योगों की रुग्णता को कैसे कम किया जाये, और

(ग) वैश्वीकरण, उदारीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त मेरे अन्य साथियों, श्री संतो कुमार गंगवार, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री के.एस. राव ने भी इस महत्वपूर्ण विाय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मेरे मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयास तथा आगे आने वाली योजनाओं पर जानकारी देना चाहूंगा।

सर्वप्रथम मैं आप सभी को लघु उद्योग की परिभाा से अवगत कराना चाहूंगा। वर्तमान में लघु उद्योग की ईकाई वह होती है जिसमें प्लांट व मशीनरी में एक करोड़ रुपये तक की लागत हो। इस समय देश में 114 लाख ईकाइयां हैं जिनमें से पंजीकृत 15.5 लाख और अपंजीकृत 98.5 लाख हैं। इन ईकाइयों का भारत के आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान रहा है व इनका औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में योगदान 39 प्रतिशत है। उनके द्वारा उत्पादित माल का कुल चालू मूल्य 3.58 लाख करोड़ रुपये है और 86 हजार करोड़ रुपये का निर्यात है जो कि इस बार के कुल निर्यात का 34 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त लगभग 2.75 करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करती है।

18.00 hrs.

इस रोजगार सृजन में असंगठित क्षेत्रों की 80 प्रतिशत की भागीदारी है। क्षेत्र की रोजगार सृजन की क्षमता को दृटिगत रखते हुए हमारी सरकार ने अपने राट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत इस क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया है। इस क्षेत्र की विशेता है कि इसमें समस्त आकार की इकाईयां समावेशित हैं।

राट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित घोाणाएं इस प्रकार हैं -

(क) असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक राट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। इस आयोग को इन उद्यमियों को तकनीकी, विपणन तथा ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए समुचित सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु एक राट्रीय को बनाया जायेगा।

(ख) सेवा उद्योग को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह विकास और रोजगार के पूरे अवसर उपलब्ध करा सके।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए शीघ्र ही एक बड़े प्रोमोशनल पैकेज की घोाणा की जायेगी। इसे इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाएगा और इसे ऋण, प्रौद्योगिकीय और विपणन की पूरी सहायता दी जायेगी। बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर तत्काल ध्यान दिया जाएगा।

उपलबध आंकड़ों से परिलक्षित होता है कि लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की संख्या, उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात में वर्ा प्रति वर्ा वृद्धि हो रही है। वर्ा 2003-2004 में उत्पादन में वृद्धि दर 8.6 प्रतिशत रही है और दसवीं पंचवर्ाीय योजना के पहले दो वर्ाों में यह वृद्धि औसतन 8.13 प्रतिशत रही है, जबकि इसकी तुलना में वर्ा 2003-2004 में कुल औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही है। लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर को और अधिक बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने कई कारगर कदम उठाए हैं जैसे -

उच्च प्रौद्योगिकी तथा निर्यात उन्मुखी 71 मदों के लिए पूंजी निवेश सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया गया है।

शनैः शनैः आवश्यकतानुसार आरक्षित मदों की सूची में कमी लाई जा रही है ताकि उनके उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा में गति आये और वे विदेशी इकाइयों द्वारा बनाए गए उत्पादों को चुनौती दे सकें। इस प्रक्रिया में इस वर्ा 85 मदों को अनारक्षित किया गया है।

लघु उद्योग इकाइयों को 'इंस्पैक्टर राज' से मुक्त कराने के उद्देश्य से "लघु उद्यम विकास विधेयक, 2004" को संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र लैंडिंग योजना में शामिल किए गए हैं।

आर.बी.आई. से कोलेटरल फ्री ऋण की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कराई गई।

कम्पोजिट लोन की सीमा 50 लाख रुपये से बढाकर एक करोड़ रुपये कराई गई।

नेशनल इक्विटी फंड योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट लागत की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।

497 विशिट लघु उद्योग बैंक ब्रांच अब तक खुलवाई गई हैं और देश के हर जिले में एक विशिट एस.एस.आई. बैंक ब्रांच खुलवाने का प्रयास है।

वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे लघु उद्योगों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर अपने प्राइम लैंडिंग दर से 2 प्रतिशत ऊपर या नीचे रखें।

दिनांक 1.4.2004 से 10,000 करोड़ रुपये का एस.एम.ई. फंड स्थापित किया गया और अब तक उक्त फंड से 1000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित कर दिये गये हैं।

लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है, ताकि लघु उद्योगों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

लघु उद्योग मंत्रालय ने क्रैडिट रेटिंग योजना आरंभ की है जिसके तहत इकाइयों द्वारा देय फीस की 75 प्रतिशत, (अधिकतम 40000 रुपये) तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्रैडिट गारंटी फंड में वित्तीय योगदान कराया जाना। क्रैडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के अंतर्गत सब्सिडी की सीमा बढ़ाना विचाराधीन है। लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाएँ देने हेतु मंत्रालय की इंटीग्रेटेड इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमैंट योजना के अंतर्गत पाँच करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत पर सामान्यत: 40 परसैंट अनुदान दिया जाता है लेकिन विशेा क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें सिक्किम सम्मिलित है, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्यों हेतु यह अनुदान 80 प्रतिशत तक दिया जाता है।

यह माना गया है कि यदि एक क्लस्टर के अंतर्गत समान इकाइयों को सामूहिक रूप से प्रशिक्षण एवं उच्च प्रौद्योगिकी के संबंध में जानकारी दी जाए तो पूरे क्लस्टर का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। अतः मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 59 औद्योगिक क्लस्टर चुने गये हैं। उनको चहुँमुखी रूप से प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, ऋण सहायता व अन्य सुविधाएँ दी जा रही हैं। उपर्युक्त 59 क्लस्टरों में पाँच राट्रीय कार्यक्रमों के तहत भी कार्य चल रहा है। इन राट्रीय कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र क्लस्टर योजना की तुलना में ज्यादा वृहद है। राट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए मद खिलौने, पत्थर, मशीन, टूल, ताला एवं हैन्ड टूल हैं। इन राट्रीय कार्यक्रमों में यनिडों की सहभागिता है।

जैसा कि साझा राट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में घोाित है, मेरे मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख संवर्द्धनात्मक पैकेज तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, आधारभूत संरचना आदि की सहायता किया जाना प्रस्तावित है।

श्री संतोा गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि यदि इतना लंबा जवाब है तो लिखकर भेज देते, हम पढ़ लेते। हमने कुछ बिन्दु उठाए थे, उनका जवाब मिल जाता तो अच्छा रहता। â€¦ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संतोा जी बहुत वरिठ सांसद हैं। आप धैर्य रखिये। आप जानना चाहते हैं कि लघु उद्योग के विाय में मंत्रालय ने क्या किया है, उसके संदर्भ में माननीय सदस्य को बताना तो जरूरी है। आप एक प्रश्न पूछते हैं, मैं तो विस्तार से उसका जवाब दे रहा हूँ। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair and not the individual.

श्री महावीर प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार लघु उद्योग क्षेत्र को इंस्पैक्टर राज से मुक्त कराने हेतु लघु उद्यम विकास बिल 2004 तैयार कर रही है जो शीघ्र ही संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने माननीय सदस्यों ने शंकाएं व्यक्त की हैं, यह बिल एक ऐसा बिल है जो लघु उद्योग की रीढ़ है और इसमें हमारी सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा सहयोग है। जब विधेयक सामने आएगा तो विद्वान माननीय सदस्य विशेकर डॉ. चिन्ता मोहन जी इसको और अधिक समझ पाएंगे और सभी माननीय सदस्य इसको समझेंगे।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने हेतु हमारा मंत्रालय दो योजनाएं - प्रधान मंत्री रोज़गार योजना तथा ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना भी चला रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के तहत 16.5 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजन करने का लक्ष्य है तथा ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना में 25 लाख अतिरिक्त रोज़गार सृजन करने का लक्ष्य है।

जहां तक माननीय सदस्य ने रुग्णता के विाय में चिन्ता व्यक्त की है, मैं अपने विद्वान साथियों को यह स्पट करना चाहूँगा कि रुग्ण इकाइयाँ क्या होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक की परिभााा के अनुसार, रुग्ण इकाई वह है जिसका किसी उधार खाते में मूलधन या ब्याज एक वा से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो या पिछले लेखा वा के दौरान उसकी निवल संपत्ति (नैट वर्थ) में 50 प्रतिशत तक कमी आई हो। अर्थात्, ये इकाईयां अपनी स्थापित क्षमता से कम क्षमता पर चल रही है, जिसके फलस्वरूप वे बैंक से लिए गए ऋणों को समय से अदा नहीं कर पा रही है। â€¦ (व्यवधान)

माननीय महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित आंकड़ों के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाईयों की संख्या में कमी आई है। देश में रुग्ण लघु उद्योग इकाईयों की संख्या मार्च, 1998 के अन्त में 2.21 लाख से घटकर मार्च, 2003 के अन्त में 1.67 लाख रह गई है। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि दिनोंदिन जिस प्रकार से हमारे तकनीकी आधार बढ़ते जा रहे हैं, संवर्धन होता जा रहा है, उसी प्रकार से हमारी रुग्ण इकाईयां कम हो रही हैं।

महोदय, लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना, जो वा 2001-02 के दौरान संचालित की गई थी उसके परिणामों के अनुसार देश में रुग्ण/प्रारम्भिक रुग्ण इकाईयों की संख्या 8.23 लाख थी जो कि कुल इकाईयों की 7.82 प्रतिशत थी। इस गणना के दौरान किए गए सर्वेक्षण से रुग्णता के मुख्यतः आठ कारण सामने आए, जिनके बारे में माननीय डॉ. चिन्ता मोहन जी ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी उनकी चिन्ता में अपने को समाहित करता हूं और इस प्रकार से हमारे सामने जो कारण हैं कि क्यों हमारी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हो जाती हैं, उसके आठ कारण हैं। एक तो मांग का अभाव, कार्यशील पूंजी की कमी, विपणन संबंधी समस्याएं, ि वद्युत की कम आपूर्ति, कच्चे माल की अनुपलब्धता, संयंत्र संबंधी समस्याएं, श्रम संबंधी समस्याएं तथा प्रबन्धन संबंधी समस्याएं हैं। â€¦ (व्यवधान)

श्रीमन, माननीय सदस्य का थोड़ा समय और चाहूंगा फिर अलग से मैं उनसे बात करूंगा। वे बहुत सम्मानित सदस्य हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय लेने के लिए क्षमा चाहूंगा। रुग्ण इकाइयों के पुनर्वासन हेतु कई कारगर कदम उठाए गए हैं जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एस.एस. कोहली कमेटी रिपोर्ट 2001 की संस्तुति के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वासन हेतु संशोधित दिशानिर्देश 16 जनवरी, 2002 को सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिपत्रित कर दिए गए। इस प्रकार से कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे रुग्णता में कमी आ जाए। हमारी सरकार और हमारा मंत्रालय शीघ्रतापूर्वक रुग्ण इकाईयों को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे माननीय चिन्ता मोहन जी ने जो तीसरा बिन्दु उठाया है â€¦ (व्यवधान)

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे घबड़ाएं नहीं बैठें और मुझे सुनें। मैंने पहले ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय से समय के लिए क्षमा मांग ली है। चूंकि जब प्रश्न एक तारीख को प्रश्न आया, तो आप बहुत उतावले थे। इसलिए मैं माननीय सदन में संपूर्ण रूप से और विस्तार पूर्वक उत्तर देना चाहता हूं और आपके सामने परिस्थितियों को स्पट करना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोद्य, अभी-अभी मैं अजमेर और पुकर की तरफ भी आऊंगा। आपके क्षेत्र में भी मैं आऊंगा। पुकर और अजमेर दोनों की मैं व्याख्या करूंगा। जैसा कि आप सभी अवगत हैं विश्व के विभिन्न देशों के उत्पादों, सेवाओं और पूंजी बाजारों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण या उदारीकरण कहते हैं। यह बात हमारे सामने है, यह समस्या है। माननीय सदस्यों की तरह से हम भी चिन्तित हैं कि वैश्वीकरण या उदारीकरण जो देश में आया है, इससे हमारे लघु उद्योगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा1।

उस संदर्भ में स्वयं चिन्तित था, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण से यह स्थिति सामने आई है कि प्रतिस्पर्द्धा की भावना से हमारे जो उद्यमी हैं, वे भी गुणवत्ता की तरफ चले हैं ताकि बाहर के देशों से जो माल, चाइना और दूसरी जगहों से आने का सवाल था, हमारे उद्यमी भी उस तरफ काफी कारगर हो रहे हैं। इसलिए उदारीकरण हमारे लिए चिन्ता का विाय था, जिसके कारण इस वक्त कम्पीटिशन है, प्रतिस्पर्द्धा है। उस प्रतिस्पर्द्धा को संभालने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे उद्यमी भी सामने आ गए हैं और आज वे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वैश्वीकरण या उदारीकरण से हमारे जो लघु उद्योग हैं, वे कमजोर नही हुए हैं। हमारे हिन्दुस्तान के लघु उद्योग भी प्रगति की तरफ चले हैं, जिसकी मैं अभी व्याख्या कर रहा था कि लघु उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा में निर्यात कर रहे हैं। आज हमारे निर्यात का 34 प्रतिशत लघु उद्योग का है।

महोद्य, हमारे वरिठ सांसद, जो हमारे मंत्री भी रहे हैं, आदरणीय श्री संतोा कुमार गंगवार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप चिन्तित न हो। जो बिल हमारे सामने है, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने का बिल है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं प्रयत्न कर रहा था कि इसी सत्र में वह बिल आ जाए। उस बिल का हमारा पूरा मसौदा तैयार है। हम उसे केबिनेट में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस बिल को इसी अधिवेशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं। वह बिल आने के बाद लघु उद्योग के क्षेत्र में जितनी प्रगति की बात है, उसमें जितने अनुच्छेद हैं, सब कुछ उसमें साफ हो जाएगा जब हम लघु उद्योग बिल सदन में लाएंगे। डा. चिन्ता मोहन जी, (चित्तूर और आंध्र प्रदेश), के.एस. राव जी तथा रावत जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हम बिलकुल इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि इस संदर्भ में जो ब्याज दर की बात पीएलआर से, दो प्रतिशत कम या अधिक की हम बात कर रहे हैं, हमारा वित्त मंत्रालय से भी सम्पर्क है। मेरी इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी वार्ता हुई थी कि हम बिल ले आते हैं, उसके बाद लघु उद्योगों के प्रति हमारा जो लक्ष्य है, उसे मैं आपके सामने लाऊंगा। जितने माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लघु उद्योग भारत के करोड़ों-करोड़ गरीबों, दलितों और महात्मा गांधी के प्रति जो आपने कहा कि खादी के प्रति हम स्वयं चिन्तित हैं। महात्मा गांधी जी को याद करते हुए आने वाले भविय में खादी उद्योग और खादी अपना परचम लहराएगा और पूरे गरीबों, दलितों और मजदूरों का कल्याण होगा। इसलिए मैं वह बिल ला रहा हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House is adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday, 20th December, 2004.

18.19 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, December 20, 2004/Agrahayana 29, 1926 (Saka).

____